न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्यालय गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

क0सं0	पूर्व पत्रावली सं0	दर्ज दिनांक	वर्तमान पत्रावली सं0	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	13/2024	02.08.24	13/25(2025/13)	15.01.2025	29.04.2025	1 लगायत 6

1 चेतराम पुत्र ग्यारसा जाति मीना निवासी बामनवास पट्टीकलां तहसील बामनवास।
2 पप्पू पुत्र ग्यारसा जाति मीना निवासी बामनवास पट्टीकलां तहसील बामनवास।
3 श्योराज पुत्र कजोड़या जाति मीना निवासी बामनवास पट्टीकलां तहसील बामनवास।
4 निर्मला पत्नि श्योराज जाति मीना निवासी बामनवास पट्टीकलां तहसील बामनवास।

—— अपीलार्थी

बनाम

1. रामखिलाड़ी बैरवा पुत्र परभात्या जाति बैरवा निवासी पट्टीकलां तहसील बामनवास।

– रेस्पोडेन्ट

उपस्थित–
अपीलान्ट की ओर से– विद्वान अभिभाषक श्री सतीश कुमार शर्मा
रेस्पोडेन्ट की और सेः– विद्वान अभिभाषक श्री योगेश कुमार शर्मा

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955

निर्णय

यह अपील न्यायालय तहसीलदार बामनवास के मु0नं0 01/2023 निर्णय दिनांक 14.05.2024 में पारित आदेश से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस न्यायालय में पेश की गयी।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट जरिये अधिवक्ता उपस्थित होने पर तथा अदालत मातहत की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्षों की प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम एवं अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर दौराने बहस निवेदन किया कि यहकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय की अपीलार्थीगण को कोई जानकारी नही थी क्योकि अपीलार्थीगण से उनके अभिभाषक द्वारा यह कहा गया था कि अभी तुम्हें प्रकरण में हर तारीख पेशी पर आने की आवश्यकता नहीं हैं। जब कभी तुम्हारी आवश्यकता होगी तुम्हें सूचना देकर बुलवा लेगें। परन्तु काफी समय

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Scanned with CamScanner

तक जब अपीलार्थीगण के वकील साहब ने अपीलार्थीगण को अपने प्रकरण के बारे में कोई सूचना नहीं दी तब दिनांक 25–6–24 को अपीलार्थी सं01 तहसील बामनवास जाकर अपने वकील साहब से मिला तथा प्रकरण के बारे में जानकारी की तब उन्होने बताया कि मैं अन्य कार्यों में व्यस्त होने के कारण तुम्हें सूचना देना भूल गया था तुम्हारे उक्त प्रकरण का निर्णय दिनांक 14–5–2024 को हो चुका है। इस पर अपीलार्थी सं01 अन्य अपीलार्थीगण से मिला तब दिनांक 26–6–2024 को सभी अपीलार्थीगण बामनवास में अपने वकील साहब से मिले तथा मुकदमें में हुये निर्णय की नकल के लिये कहा तो वकील साहब ने उसी दिन नकल के लिये आवेदन किया। जिस पर उसी दिन दिनांक 26–6–2024 को निर्णय की नकल मिली तथा उसे देखने व पढने पर अपीलार्थीगण की जानकारी में आया कि उक्त प्रकरण का निर्णय अपीलार्थीगण के विरूद्ध होकर भूमि से बेदखली के आदेश हो गये हैं इसलिये प्रार्थीगण द्वारा बिना किसी देरी व लापरवाही के होने जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है जिसे अन्दर मियाद शुमार किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर अपनी कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की ऐसी स्थिती में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 12.09.2023 को एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में अर्न्तगत धारा 183 बी आर0टी0एक्ट इस आश्य का पेश किया कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि खं0नं0 3834 रकबा 3.05 है0 हिस्सा 1/6 स्थित ग्राम बामनवास पट्टीकलां तहसील बामनवास में हैं। जिसे मौके पर अन्य शामलाती खातेदारो के साथ वाहमी तौर पर बंटवारा किया हुआ हैं। जिस पर प्रार्थी काश्त कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हैं। उक्त भूमि पर गैरसायल / अपीलार्थीगण सं01 से 4 द्वारा दि० 5–5–2023 को प्रार्थी के हिस्से पर जबरन जोत लगाकर बलपूर्वक कब्जा कर लिया। मना करने पर गाली गलौचं धक्का मुक्की की। प्रार्थी अनुसूचित जाति का व्यक्ति हैं जबकि अपीलार्थीगण अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पुलिस इमदाद से भूमि पर कब्जा दिलाया जावें। उक्त प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Scanned with CamScanner

द्वारा दिनांक 14–5–2024 को बिना कोई उचित साक्ष्य सबूत लिये निर्णित कर अपीलार्थीगण को भूमि से बेदखल कर वादी खातेदार को कब्जा संभलाने का आदेश पारित कर दिया। जिससे पीडित होने के कारण अपील अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त होने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व यह गौर नही किया कि रेस्पोडेन्ट / प्रार्थी द्वारा भूमि पर स्वंय का कब्जा होना प्रार्थना पत्र में अंकित किया हैं जब रेस्पोडेन्ट स्वंय विवादित भूमि पर अपना कब्जा मानता हैं तो धारा 183बी के तहत कार्यवाही चलने का प्रश्न ही पैदा नही होता। क्योकि रेस्पोडेन्ट द्वारा उपरोक्त विवादित भूमि के सन्दर्भ में उक्त प्रार्थना पत्र धारा 183बी के अतिरिक्त एक दावा व प्रार्थना पत्र टी०आई० न्यायालय उपजिला कलेक्टर बामनवास के यहां पेश कर रखा है जिसमें दावे का मुकदमा नं0 117/2019 हैं उक्त दावे में सन 2019 में रेस्पोडेन्ट द्वारा वाद पत्र के मद नं0 1 व 2 में यह कथन किया है कि विवादित भूमि पर रेस्पोडेन्ट का कब्जाकाश्त है तथा भूमि पर काबिज रहकर कब्जा काश्त करते आ रहे हैं। साथ ही जो दावा रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया है वह बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया हैं जिससे भी स्पष्ट हैं कि विवादित भूमि पर रेस्पोडेन्ट स्वंय का कब्जा हैं ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरुद्ध एंव आधारहीन हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायिक सिद्धान्तो की अवहेलना कर उक्त निर्णय पारित किया है क्योकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वंय रेस्पोडेन्ट / सायल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत उपखण्ड अधिकारी के प्रकरण सं० 09/2015 रामखिलाडी बनाम निर्मला वगेहरा प्रार्थना प अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश पर कतई गौर नहीं किया। जिसमें न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में स्थगन आदेश जारी हो रहा है अर्थात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर रेस्पोडेन्ट के स्वंय के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किये बिना उक्त निर्णय पारित किया हैं। इसलिये निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपजिला कलेक्टर बामनवास के निर्णय की अनदेखी कर उक्त निर्णय पारित किया हैं जो विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त होने योग्य हैं। रेस्पोडेन्ट द्वारा उपजिला कलेक्टर बामनवास के यहां प्रस्तुत वाद पत्र के मद नं० 3 में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि प्रार्थी के पिता परमात्या ने दि० 25–3–2008 को 50,000/– रूपयें प्राप्त भूमि पर कब्जा स्वंय अपीलार्थीगण को संभलाया गया। अर्थात उक्त विवादित भूमि को रेस्पोडेन्ट के पिता द्वारा ही सन 2008 में अपीलार्थीगण को स्वंय की स्वतंत्र सहमति से विक्रय कर भूमि पर कब्जा स्वंय ने संभलाया, जिससे स्पष्ट है कि भूमि पर रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने समस्त हक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Scanned with CamScanner

व अधिकारो का समर्पण अपीलार्थीगण के पक्ष में कर दिया गया। अर्थात उक्त विवादित भूमि पर रेस्पोडेन्ट के कोई अधिकार शेष नही रहे। जहां तक अपीलार्थीगण के एसटी जाति के व रेस्पोडेन्ट के एससी जाति होने का प्रश्न हैं ऐसी स्थिति में धारा 42 टीनेन्सी एक्ट के प्रावधान लागू होते है परन्तु उक्त प्रावधान इस प्रकरण में लागू नही होते हैं क्योकि इस प्रकरण में विवादित भूमि रेस्पोडेन्ट द्वारा स्वंय की सहमति से भूमि की कीमत लेकर अपीलार्थीगण को समर्पित की गयी। इसलिये यहां धारा 183बी के तहत रेस्पोडेन्ट किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। तथा उक्त भूमि पर कानूनन अपीलार्थीगण की खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को अपीलाधीन निर्णय पारित नही करके भूमि को सिवायचक भूमि के रूप में दर्ज किये जाने की कार्यवाही न्यायिक दृष्टिकोण अपनाते हुये करनी चाहिये थी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया हैं जो निरस्त किये जाने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके पर भौतिक कब्जे के बारे में कोई जानकारी नहीं की गयी क्योकि स्वंय रेस्पोडेन्ट न्यायालय उपजिला कलेक्टर बामनवास के यहां प्रस्तुत वादपत्र में दि० 25–3–2008 को अपीलार्थीगण को भूमि पर 50,000 /– रूपयें लेकर भूमि विक्रय कर भूमि पर कब्जा देना अंकित करते हैं जिससे स्वंय स्पष्ट हैं कि अपीलार्थीगण का उक्त विवादित भूमि पर कब्जा सन 2008 से चला आरहा है जिससे स्पष्ट हैं कि रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रकरण लगभग 15 वर्ष बाद पेश किया गया है। जबकि भूमि से बेदखली के लिये 183बी का प्रार्थना पत्र पेश करने के लिये कानूनन मियाद की अवधि 12 वर्ष हैं अर्थात रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने के कारण भी निरस्त होने योग्य था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से प्रार्थना पत्र धारा 183बी को अन्दर मियाद मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त होनो योग्य हैं, साथ ही अधिवक्ता अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार बामनवास द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.05.2024 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि हाल खसरा नम्बर 3834 रकबा 3.05 है0 तहसील बामनवास पट्टीकलां में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का 1/6 हिस्सा राजस्व रिकोर्ड में अंकित है। उक्त भूमि शामलाती है पक्षकारान ने भूमि का बाहमी तौर पर बॅटवारा किया हुआ है। उक्त भूमि प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि है। उक्त वाद आराजीयात से अपीलार्थीगण का किसी प्रकार का कोई वास्ता नहीं है। अपीलार्थीगण द्वारा उक्त अपील गलत तथ्यों के आधार पर न्यायालय हाजा

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Scanned with CamScanner

मे प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा उक्त वाद आराजीयात 50000/– रू0 में कय करना बताया गया है, लेकिन अपीलार्थी द्वारा उक्त कय संबंधित कोई रजिस्ट्री/स्टाम्प न्यायालय हाजा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अनुसूचित जाति की भूमि अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति को किसी भी प्रकार से विकय नहीं की जा सकती है तथा उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि है,जिससे अपीलार्थीगण का कोई वास्ता नहीं है, साथ ही अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।
Section 183-B of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 provides for the summary ejectment of trespassers from agricultural land held by a member of a Scheduled Caste (SC) or Scheduled Tribe (ST). It empowers authorities to rapidly evict unauthorized occupants from land belonging to these protected classes to prevent illegal land transfers and protect their rights.

उक्त वाद आराजीयात रेस्पोडेन्ट सं0 1 रामखिलाड़ी बैरवा (अनुसूचित जाति) की खातेदारी भूमि है तथा अदालत मातहत की पत्रावली में संलग्न फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 10.07.2024 के अनुसार " ग्राम बामनवास पट्टीकलां बी के खसरा नम्बर 3834 रकबा 3.05 है0 व खं0नं0 3835 रकबा 1.80 है0 के मौके पर गठित टीम (भू–अभिलेख निरीक्षक पट्टी कलां, पटवारी हल्का पट्टीकलां बी, पटवारी हल्का पट्टीकलां ए) के साथ पहुँचे मौके पर खातेदार उपस्थित मिले । मुस्तकिल पाइंट से जरीव चलाकर सीमा चिन्ह लगाते हुए प्रार्थी को अपनी खातेदारीभूमि पर पुलिस जाप्ते की उपस्थिति में कब्जा सम्भलाया गया " उक्त रिपोर्ट पर स्वयं खातेदार रामखिलाड़ी की भी हस्ताक्षर निशानी अंकित है।

जहां तक आराजीयात मुतनाज के भूमि जरिये अपंजीकृत विकय पत्र कय करने का उल्लेख किया गया है तथा सहमति से कब्जा प्राप्त किया गया है तो ऐसी स्थिती में अपीलार्थी सक्षम सिविल न्यायालय में पंजीकृत/अपंजीकृत विकय पत्र के आधार पर विशीष्ट अनुतोष अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है तथा अपीलार्थी पक्ष का दौराने बहस यह भी कथन है कि रेस्पोडेन्ट (अनुसूचित जाति) द्वारा उक्त वाद आराजीयात अपीलार्थीगण (अनुसूचित जनजाति) को विकय करने पर धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Scanned with CamScanner

प्रावधान लागू होता है । ऐसी स्थिती में अपीलार्थी सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

चुकि उक्त अपील तहसीलदार बामनवास द्वारा प्रार्थना पत्र 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में पारित निर्णय दिनांक 14.05.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है तथा . वर्तमान में उक्त वाद आराजीयात पर मुताबिक कब्जा रिपोर्ट दिनांक 10.07.2024 को पुलिस की उपस्थिति में खातेदार को कब्जा .सम्भलाया जा चुका है। ऐसी स्थिती में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होती है।

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाकर न्यायालय तहसीलदार बामनवास के मु0नं0 01/2023 निर्णय दिनांक 14.05.2024 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Scanned with CamScanner